REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 11 | ISSUE - 3 | DECEMBER - 2021

भ्रष्टाचार निवारण एवं पारदर्शी सरकार के संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की उपादेयता

संजीव कुमार[1] , डॉ.ओमदत्त[2]
[1]शोधार्थी विधि, डी0ए0वी0कालेज, मुजफ्फरनगर.
[2]सह आचार्य विधि विभाग,डी0ए0वी0 कालेज, मुजफ्फरनगर.

सार –

किसी भी लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति उसके नागरिकों में निहित होती है। नागरिकों को लोकतांत्रिक सरकार के कार्यों को जानने का अधिकार होता है। यदि नागरिकों को जानने का अधिकार नही होगा तो सरकार व उसके प्रतिनिधियों को अपने गलत कार्यों के प्रति कोई भय नही होगा। ऐसे में लोकतंत्र की मान्यता ही समाप्त हो जायेगी। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों का शासन रहा है जो गोपनीयता की आड़ में सूचना देने से बचते थे। आजादी के बाद काफी समय तक इसी तरह का माहौल रहा। भारतीय न्यायालयों के निर्णय व जन–आंदोलनों के परिणामस्वरुप भारत सरकार को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित करना पडा। अधिनियम के लागू होते ही सरकार के प्रतिनिधियों के कार्यों की अनियमितता सामने आने लगी और भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने लगे। इस अधिनियम के लागू होने से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आने के साथ–साथ भ्रष्टाचार पर नियंत्रण आसान हुआ है।

परिचय–

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक को अपने द्वारा चुनी गयी सरकार और उसके प्रतिनिधियों के कार्यों को जानने का हक होता है, नागरिक मात्र एक मतदाता नहीं है। नागरिक किसी न किसी रूप में कर का भुगतान करते हैं इसी से देश की अर्थव्यवस्था संचालित होती है। निर्वाचित सरकारें नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जनकल्याणकारी सुविधाओं के लिए अनेक कार्यक्रम बनाती व संचालित करती हैं। सरकार द्वारा बनायी गयी नीतियों और उनके कार्यान्वयन में होने वाली गतिविधियों और व्यय की जानकारी नागरिकों को होनी चाहिये इससे सरकारी कार्यों की सत्यता का पता चलता है, और पारदर्शिता बनी रहती है। पारदर्शिता के अभाव में भ्रष्टाचार को बढने का अवसर मिलता है। अधिनियम से पहले अधिकारी वर्ग गोपनीयता की आड़ में अपने भ्रष्टाचार को छिपा लेते थे। भ्रष्टाचार और गोपनीयता का बड़ा गहरा सम्बन्ध हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। यदि गोपनीयता का कवच हटा दिया जाये तो भ्रष्टाचार को बढ़ने का अवसर नही मिलेगा इसलिए सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने व भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया।

उद्देश्य एवं कार्य विधि–

प्रस्तुत शोध कार्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आवश्यकता, विकास एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टाचार निवारण एवं पारदर्शी सरकार के सम्बन्ध में इसकी उपादेयता हेतु आशयित है । इस उद्देश्य की पूर्ति की हेतु सैद्धान्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हुये उपलब्ध साहित्य न्यायनिर्णयन एवं समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा इन्टरनेट आदि पर उपलब्ध सामग्री का क्रमिक अध्ययन करके हेतुक पूर्ति का निष्ठापूर्ण प्रयास किया गया है ।

भारत में सूचना के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–

वर्तमान में जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमें उपलब्ध है, वह एक दिन का परिणाम नही है बल्कि एक सतत् प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें भारतीय न्यायालयों द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये जन आंदोलनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) में जानने का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 19(1) (क) में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यह स्वतंत्रता उस परिस्थिति में सम्भव है। जब नागरिकों को जानने का अधिकार होगा क्योंकि जब तक जानकारी नही होगी तब तक कोई भी नागरिक अपना मत किसी विषय पर प्रकट नही कर सकता। उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार की झलक देखने को मिलती है। इस कडी में उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण एवं अन्य[1] का मामला मील का पत्थर माना जाता है। इस वाद में सूचना के अधिकार को मूल अधिकार माना गया। न्यायाधीश मैथ्यू ने अपना मत प्रकट किया कि ''सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा सार्वजनिक ढंग से किये गये किसी भी सार्वजनिक कार्य के बारे में जानने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। जानने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतत्रंता की अवधारणा से ही निकला है। जनता के हित में किये गये कार्यों को गोपनीयता के आधार पर प्रकट करने से इंकार नही किया जाना चाहिये।''

1982 में उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य वाद एस0पी0 गुप्ता बनाम भारत सरकार[2] में सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना। इस वाद को न्यायाधीशों के मामले के रूप में जाना जाता है। इस वाद में न्यायमूर्ति पी0एन0 भगवती ने कहा, ''बिना जवाबदेही के कोई लोकतांत्रिक सरकार जीवित नही रह सकती। सरकार की कार्य प्रणाली की जानकारी नागरिकों को उपलब्ध कराना इस जवाबदेही का मूल मंत्र है। इसलिए सरकारी सूचनाओं को सार्वजनिक करना एक सामान्य नियम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये। गोपनीयता मात्र एक अपवाद हो सकती है। गोपनीयता, यदि लोकहित में है तो जायज मानी जा सकती है।

उच्चतम न्यायालय के दोनों निर्णयों का केन्द्र लोकतंत्र था जबकि 1986 का निर्णय बिल्कुल विपरीत पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करता है। सिर्फ लोकतंत्र को मजबूत बनाना ही पर्याप्त नही है बल्कि सूचनाओं के अभाव में आने वाली न्यायिक दिक्कतों के संदर्भ में भी इस निर्णय का बहुत महत्व है। एम0सी0 मेहता बनाम भारत सरकार[3] के वाद में न्यायालय का निर्णय सिर्फ सूचना की स्वतंत्रता की वकालत ही नही करता बल्कि ऐसी व्यवस्था का भी पक्षधर है जो सही सूचनाओं को एकत्रित एवं व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी का निर्वहन करे।

यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम एसोसियेशन फोर डैमोक्रेटिक रिफोर्म्स एवं अन्य[4] के वाद में भी उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि लोकतंत्र की धारणा में सूचना का अधिकार स्वतः समहित है। अगर नागरिकों को यह जानने का अधिकार नही हो कि सरकार किसी मामले में क्या और क्यों कर रही है तो सरकारी अधिकारियों में लापरवाही का रवैया पनप जाता है और उन्हें अपने कार्यों के प्रति कोई भय नही रह जाता है परन्तु नागरिकों के सूचना के अधिकार के कारण प्रत्येक अधिकारी अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के लिए स्वतः मजबूर हो जायेगा।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य[5] के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) में

दिये गये वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही दूसरा रूप है। यह नागरिकों का मौलिक अधिकार है जो प्रशासन को पारदर्शी एवं जवाब देह बनाने के लिए आवश्यक है।

इस प्रकार उपरोक्त निर्णयों ने सूचना के अधिकार के विकास में कदम आगे की ओर बढ़ाये हैं।

राजनीतिक प्रयास व जन–आंदोलन–

सूचना का अधिकार 1977 में पहली बार राजनैतिक प्रतिबद्धता के रूप में लोकसभा चुनाव से पूर्व सामने आया। 1977 में जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में खुली सरकार का वायदा किया और कहा कि सरकारी संस्थानों या प्राधिकरणों का दुरूपयोग नहीं होने दिया जायेगा।

1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सूचना के अधिकार के महत्व पर जोर दिया। उन्होने उस पर कानून बनाने का प्रयास किया परन्तु 1990 में उनकी सरकार गिर गयी।

जन आंदोलन के रूप में सूचना के अधिकार की मांग पहली बार राजस्थान में सामने आयी। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने 1994 में राजस्थान में सूचना के अधिकार के लिये क्रांतिकारी पहल की। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी और सरकारी बहीखातों में पारदर्शिता लाने की मांग ने सूचना के अधिकार कानून को बनाने का आधार तैयार किया। मजदूरों के इस आंदोलन को स्वयंसेवी संगठनों का भरपूर साथ मिला। इन आन्दोलनो ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारम्भ कर दिया। 1996 के लोकसभा चुनावों में लगभग सभी राजनैतिक दलों ने सूचना के अधिकार का समर्थन किया। न्यायाधीश श्री पी0वी0 सांवत की अध्यक्षता वाली प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया ने सूचना के अधिकार का प्रारूप तैयार करके भारत सरकार के पास अनुमोदन हेतु भेजा। भारत सरकार ने इस प्रारूप में सुधार के लिए श्री एच0डी0 शौरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। शौरी समिति द्वारा तैयार प्रारूप विधेयक में बदलाव करके इसे सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2000 कहा गया। इसे संसद में पेश किया जहां से इसे संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया। समिति इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के रूप में लागू हुआ। इस अधिनियम में सूचना हेतु प्रार्थना पर कोई कर्तव्य पालन न किये जाने पर किसी दण्ड का प्रावधान न होने के कारण इसकी गम्भीर आलोचना की गयी। यह अधिनियम कभी भी प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सका।

2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी। गठबंधन द्वारा तैयार किये गये साझा कार्यक्रम में सूचना के अधिकार को शामिल किया गया। साझा कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए सलाहाकार समिति का गठन किया गया। एन0सी0पी0आर0आई0 (National Compaign for People's Right to Information) ने सलाहाकार समिति व अन्य संगठनों के सहयोग से सूचना के अधिकार कानून का प्रारूप तैयार किया। 11 मई 2005 को लोकसभा व 12 मई 205 को राज्य सभा द्वारा यह बिल पारित कर दिया गया। 15 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में समान रूप से लागू हो गया। इस तरह जनता की एक बहुत बडी माँग पूरी हुई और लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक प्रहरी का उदय हुआ।

अगस्त 2019 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली एन0डी0ए0 की सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा लिया गया। अब सूचना का अधिनियम 2005 सम्पूर्ण भारत में लागू है।

सूचना अधिकार अधिनियम के मुख्य प्रावधान–

1. देश के प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है।[6] सूचना का अधिकार सिर्फ नागरिकों को दिया जाना सोच–समझ कर उठाया गया कदम है। यदि यह अधिकार सभी व्यक्तियों को दे दिया जाता तो इससे राष्ट्रीय हितों को खतरा हो सकता था। उक्त अधिकार का प्रयोग करके विदेशी व्यक्ति देश की आंतरिक गतिविधियों के बारे में पता कर सकता था।

2. अधिनियम में इस बात पर बल दिया गया है कि प्रत्येक लोक अधिकारी रिकार्ड का रख रखाव सूचीबद्ध व योजनाबद्ध तरीके से सुनिश्चित करेगा। अधिनियम में कहा गया है कि सूचना के अधिकार को सुविधाजनक बनाने के लिए रिकार्ड को कम्प्यूटरीकृत किया जाये।[7]
3. सभी सरकारी विभागों एवं प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के लागू होने के 120 दिन के अन्दर सरकारी विभागों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रकाशन आवश्यक है।[8]
4. कोई भी नागरिक सूचना प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन लिखित में, इलेक्ट्रानिक माध्यम में, अंग्रेजी, हिन्दी या उस क्षेत्र की प्रचलित भाषा में सम्बन्धित अधिकारी के पास निर्धारित शुल्क के साथ जमा करवायेगा।[9] यदि कोई आवेदक लिखित में आवेदन देने में असमर्थ है तो सम्बन्धित अधिकारी से यह आशा की जाती है कि वह उसके मौखिक आवेदन को लिखित आवेदन में बदल देगा।
5. सम्बन्धित अधिकारी, आवेदक से सम्पर्क करने के लिए आवश्यक जानकारी के अतिरिक्त, आवेदक से आवेदन का कारण नही पूछ सकता।[10]
6. अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी आवेदन देने के 30 दिन के अन्दर सूचनायें उपलब्ध करवायेगा। यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित है तो सूचना 48 घंटे के अन्दर उपलब्ध करवाना आवश्यक है।[11] यदि सूचना समय पर उपलब्ध नही करवायी जाती है तो आवेदक निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नही होगा व ऐसी स्थिति में सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी।[12]
7. यदि सूचना तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है तो जन सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 5 दिन के अन्दर तृतीय पक्ष को लिखित में सूचना देगा और आग्रह करेगा कि 10 दिन के भीतर अपना पक्ष या विचार रखे। उसके बाद ही सूचना अधिकारी सूचना देने या न देने पर निर्णय करेगा।[13]
8. यदि जनसूचना अधिकारी आवेदन के 30 दिन की निर्धारित अवधि में सूचना नहीं देता है या दी गयी सूचना से आवेदनकर्ता सन्तुष्ट नही है तो आवेदन कर्ता सम्बन्धित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष 30 दिन के अन्दर अपील कर सकता है यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी सन्तुष्ट है कि अपील में देरी का युक्तियुक्त कारण है तो विलम्ब होने पर भी अपील स्वीकार कर सकता है।[14]
9. केन्द्रीय सूचना आयोग व राज्य सूचना आयोग को प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार है ऐसी अपील दायर करने की अवधि प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय की तिथि से 90 दिन तक है। ऐसी अवधि बीत जाने पर भी आयोग अपील कर सकता है। यदि आयोग विलम्ब के युक्तियुक्त कथन से सहमत हो।[15]
10. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य पालन में असफल रहने पर अधिनियम में दण्ड का प्रावधान है। आयोग द्वारा 250 रुपये प्रतिदिन तथा अधिकतम 25000 रूपये तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है।[16]

अधिनियम के उद्देश्य–

लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली जवाब देही और पारदर्शिता पर आधारित है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के सहयोग से पारदर्शी शासन व्यवस्था स्थापित करना है जिससे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एवं जनता के प्रति जवाबदेह पारदर्शी शासन व्यवस्था स्थापित की जा सके। यह अधिनियम वास्तव में एक पारदर्शी, सजीव और जवाबदेह सरकार को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसके लागू होने से सरकारी तंत्र में कार्य कुशलता में वृद्धि होगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी क्योंकि भ्रष्टाचार और गोपनीयता में निकट का सम्बन्ध है। जब व्यवस्था पारदर्शी होगी तो अधिकारी वर्ग भ्रष्टाचार करने से भयभीत होगा।

अधिनियम की उपलब्धि–भ्रष्टाचार पर वार–

भ्रष्टाचार भारत की एक प्रमुख समस्या रही है क्योंकि अधिनियम लागू होने से पहले सरकारी विभाग गोपनीयता का सहारा लेकर सूचना देने से बचते थे और इससे भ्रष्टाचार को बढावा मिलता था। जानकारी के अभाव में अधिकारी वर्ग को अपने विरूद्ध किसी कार्यवाही का भय नही रहता था परन्तु अधिनियम लागू होने से सरकारी विभागों द्वारा सूचनायें प्रकट करना आवश्यक हो गया है। जैसे–जैसे अधिनियम के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढी तो बडे–बडे घोटाले सामने आने लगे। जिसमें से कुछ का उल्लेख किया जा रहा है–

आदर्श सोसाइटी घोटाला[17]–

मुम्बई के कोलाबा में कारगिल युद्ध में शहीदों की विधवाओं व कार्यरत सैन्य कर्मियों के लिए आदर्श हाउसिंग सोसाइटी बनायी गयी थी परन्तु राजनेताओं, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन कर बाजार दर से कम दर पर फ्लैट हासिल कर लिये थे, साथ ही निर्माण के लिए अनुमति देने में भी नियमों का पालन नही किया गया था। इस मामले का खुलासा करने में आर0टी0आई0 कार्यकर्ता सिमप्रीत व योगाचार्य आनन्द जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस घोटाले के खुलासे के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पडा था। 2011 में इस मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने न्यायिक समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 102 आवंटियों में से 25 आवंटियों को गलत ढंग से आवंटन किया गया था।

राष्ट्रमण्डल खेल–2010 दलित समुदाय की सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के फण्ड का दुरूपयोग[18]–

एक गैर लाभकारी संगठन हाउसिंग एण्ड लैण्ड राइट नेटवर्क द्वारा दायर आर0टी0आई0 से पता चला कि दिल्ली सरकार ने दलित समुदाय की सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के फण्ड से 2005–06 से 2010 तक राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए 744 करोड रूपये निकाले थे। इस फण्ड का उपयोग स्टेडियम के आसपास की सडकों का विकास करने, खेल गांव में पानी की आपूर्ति करने में किया गया। जांच में पाया गया कि अधिकतर परियोजनायें केवल कागजों पर थी, जो भ्रष्टाचार और धन के दुरूपयोग की ओर इशारा कर रही थी।

डबल प्लांट आवंटन का खुलासा[19]–

आर0टी0आई0 कार्यकर्ता श्री एस0के0 शर्मा ने सूचना के अधिकार अधिनियम का लाभ उठाकर हूडा में प्लांट के डबल आवंटन घोटाले का पर्दाफाश किया। इसमें बताया गया कि झूठा शपथ पत्र देकर किस प्रकार आरक्षित श्रेणी के तहत एक से अधिक प्लाट हासिल किये गये।

झज्जर के आर0टी0आई0 कार्यकर्ता प्रो0 डॉ0 रामकुमार ने तीन विभागों में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी सूचनाओं के आधार पर घोटाले उजागर किए है। इनमें कृषि विभाग में जैविक खाद की खरीद को लेकर 12 करोड़ रूपये, भू संरक्षण विभाग में भूमिगत पाइप लाईन को लेकर सब्सिडी के 3 करोड़ रूपये व पलवल में बागवानी विभाग में मधुमक्खी पालन के वाटर टैक निर्माण के लिये आयी 2 करोड़ रूपये की धनराशि के घोटाले उजागर किये।[20]

मिल गया पानी[21]–

हमने अभी तक यह सुना था कि सूचना के अधिकार से जानकारी मिलती है परन्तु मध्य प्रदेश के रीवा में आर0टी0आई0 से पानी मिलने का दिलचस्प मामला सामने आया। रीवा के नेवरिया दलित बस्ती के निवासियों को पानी के लिए बहुत परेशानियां उठानी पडती थी। जब आर0टी0आई0 द्वारा दलित बस्ती में नलकूप लगाने की योजना पर कार्यवाही की जानकारी मांगी तो सम्बन्धित अफसरों

ने कोई जवाब नही दिया। सूचना आयुक्त ने गम्भीरता दिखाते हुए सम्बन्धित अफसरों को नोटिस दिया गया। नोटिस मिलते ही तुरन्त कार्यवाही की गयी और लोगों को पानी लने लगा।

निष्कर्ष–

लोकतंत्र का आधार पारदर्शिता और जवाबदेही है। इसमें गोपनीयता का कोई स्थान नही है। यदि गोपनीयता नही होगी तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा नही मिल पायेगा। गोपनीयता को हटाने पारदर्शिता को बढ़ाने व भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया था। जिसने अनेक भ्रष्टाचार के मामले उजागर किये। अधिनियम से भ्रष्टाचार पर तो रोक लगाने में सफलता मिली ही, साथ ही साथ जो काम अधिकारियों की लापरवाही से लटके रहते थे उन्हें शीघ्र सम्पन्न करवाने में भी मदद मिली है।

हमें अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम के प्रति जागरूकता को बढाने का प्रयास करना चाहिये। इससे जनभागीदारी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर ज्यादा प्रभावी नियंत्रण लग सकेगा। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण से राष्ट्र का विकास तीव्र गति से होगा।

संदर्भ–

1. (1975) 4 SCC 428
2. AIR 1982 SC 149
3. (1986) 2 SCC 176
4. AIR 2002 SC 2112
5. AIR 2004 SC 1442
6. धारा 3 सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
7. धारा 4 (1) (a) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
8. धारा 4 (1) (b) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
9. धारा 6 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
10. धारा 6 (2) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
11. धारा 7 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
12. धारा 7 (6) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
13. धारा 11 सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
14. धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
15. धारा 19 (3) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
16. धारा 20 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
17. Huffpost.com posted on 10.12.2015 visited on 2.12.2021
18. Ibid
19. Navbharattimes.Indiatimes.com posted on 12.10.2015 visited on 26.11.2021
20. Jagran.com posted on 12.8.2017 visited on 23.11.2021
21. Patrika.com posted on 12.10.2021 visited on 23.11.2021

संदर्भ ग्रन्थ–सूची

1. पाण्डेय, अरूण – हमारा लोकतंत्र और जानने का अधिकार, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली संस्करण 2005
2. कुमार, डॉ0 नीरज –सूचना का अधिकार एक परिदृश्य भारत बुक डिपो, लखनऊ संस्करण 2018
3. यादव, डॉ0 अभय सिंह – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक विवेचन, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, दरभंगा कैसल, इलाहाबाद संस्करण, 2019